

08/9/20

वकील प्राथमिक उपस्थित। पत्रावली का
अवलोकन किया। प्राथमिक ने यह मुन्सिफ की
प्राथमिक पत्र श्री विनोद कुमार मीना SDO
नदबर्ग के विरुद्ध प्रस्ताव किया है - चूंकि
तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी विनोद कुमार
मीना SDO नदबर्ग की अल्पत्र स्थानान्तरण
हो चुका है ऐसी स्थिति में प्राथमिक की
मुन्सिफ की प्राथमिक पत्र प्रभावहीन (Infructuous)
हो जाने के कारण इसी stage पर स्वार्थित किया
जारा है। पत्रावली फैसलें शुभ होकर वापस मिली
दा.द. है।

जिला कलेक्टर
गानपूर (मिना)